



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

फोन-(0135)-2970866, 2970867, फैक्स-(0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in, Website : www.agua.cag.gov.in



सं०: प्रशासन-II / ए0जी0यू0के0 / DAGE / 2021-22 / 103

दिनांक: 22.02.2022

विषय: खण्डीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन के संबंध में।

DAI (HR&IR), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली की खण्डीय लेखाधिकारी एवं खण्डीय लेखाकार संगठन की अखिल भारतीय संघ के साथ दिनांक 09.03.2021 को हुई बैठक की Minutes of meeting के अनुसार, CPWD expenditure/contracts के साथ-साथ तकनीकी सुधार बढ़ने के कारण कार्य पद्धति में हुए बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका प्रशासकीय खण्ड- I के पैरा 7.9 में उल्लेखित खण्डीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है, जिसके लिये इस कार्यालय से सुझाव माँगे गये हैं।

अतः उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए अपने सुझाव, यदि कोई हो तो दिनांक: 24.02.2022 तक इस अनुभाग को प्रेषित करें।

Sd/-

वरि० लेखाधिकारी (प्रशा०-II)

प्रेषित:-

समस्त खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिक
उत्तराखण्ड देहरादून

सं०: प्रशासन-II / ए0जी0यू0के0 / DAGE / 2021-22 / 1343-1344

दिनांक: 22.02.2022

प्रतिलिपि:-

1. डाटा मैनेजर ITSG को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त पत्र को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. Whatapp Group.

वरि० लेखाधिकारी (प्रशा०-II)